न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/2019

अमरसिंह पुत्र सूरजमल जाति माली निवासी गुलाबबाड़ी तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

2–आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधिनियम 1955

समक्ष

श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा आर0ए0एस0

उपस्थितः–

1–श्री अभिषेक शर्मा	अभिभाषक प्रार्थी
2–श्री ओम प्रकाश गुर्जर	राजकीय अभिभाषक
3–श्री रामकिशोर खदाव	अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

आदेश

दिनांक 23.09.2020

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी अभिभाषक द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2019 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 152/2008 बउनवानी मदनलाल बनाम सरकार वगै0 विचाराधीन है जो कि वास्ते घोषणा एंव खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विचाराधीन है। विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1635 रकबा 03–10–00 एंव खसरा नम्बर 1636 रकबा 01–16–00 ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर मे स्थित है जो कि प्रार्थी की पुश्तैनी बापोती व खातेदारी की आराजीयात है। जिस पर प्रार्थी का हक अधिकार बनता है जमाबन्दी खतौनी संख्या 1349 फसली के अनुसार प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि खुदकाश्त दर्ज है तथा खेवट नम्बर 179, 180,182, एंव 135 के अनुसार वादीगण के पिता एंव पूर्वज के नाम इन्द्राज दर्ज है। खेवट फसली 1361,1362,1364,1365 के कालम संख्या 3 मे प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम है। जिससे उपरोक्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि सिद्ध है। चौसाला जमाबन्दी संख्या 2013–16 के खेवट नम्बर 185 खतौनी संख्या 415 के अनुसार खातेदार श्री प्रेमसिंह वगै0 खाता संख्या 179 दो हिस्सा, श्रीकिशन वगै0 मुन्दर्जे खाता संख्या 180 1 हिस्सा, मूला वगै0 मुन्दर्जे खाता संख्या 182 दो हिस्सा कौम काली सा0देह दर्ज है तथा खेवट फसली 1349 के अनुसार खाता खैवट नम्बर 189 के खातेदार श्री भोलू व मोहनलाल पुत्रगण भीया जाति माली दर्ज है। इसी प्रकार खैवट नम्बर 180 के अनुसार श्रीकिशन व लिखमा, व सुवा पुत्रगण चन्दर जाति माली दर्ज है तथा खाता खैवट नम्बर 182 के अनुसार श्री मूला बालिग रतना व मोती नाबालिगं पि0 [illegible]

सहायक कलक्टर (मु.). अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Upe[ndra Kumar] Sharma
Date: 2020.09.25 12:0
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...र्वर्ई मु0 गंगा वाल्दा खुद जाति माली दर्ज है इस प्रकार खाता खैवट संख्या 185 के अनुसार ...हू वगै0 मुन्दर्जे खाता संख्या 179 दो हिस्सा, श्री किशन वगै0 मुन्दर्जे, खाता संख्या 180 एक हिस्सा एंव मूला वगै0 मुन्दर्जे खाता संख्या 181 दो हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि प्रार्थी को विरासत से प्राप्त हुई है। जिस पर प्रार्थी का अधिकार है विवादग्रस्त आराजीयात के लिये वाद वर्ष 2008 मे प्रस्तुत कर दिया गया था। वाद प्रस्तुति से पूर्व प्रार्थी नोटिस भी दिये गये थे। जिस पर कोई कार्यवाही नही होने पर वाद प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरान्त नगर सुधार न्यास जो कि हाल मे अजमेर विकास प्राधिकरण सृजित हो गया है के विरूद्ध जारी निर्णय दिनांक 28.04.2010 जो कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) अजमेर द्वारा जारी किया गया था के उपरान्त अप्रार्थी राजस्व वाद मे उपस्थित हो चुके थे तथा वाद पत्र मे उनके द्वारा जवाब दावा भी प्रस्तुत किया जा चुका था। इसके बाद भी जरिये आवंटन आदेश दिनांक 23.06.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1635 रकबा 2000 वर्गमीटर अधिशाषी अभियन्ता (निर्माण) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 अजमेर को कर दिया। प्रार्थी की भूमि पर उपरोक्त आवंटन आदेश की पालना मे निर्माण कार्य करने पर सख्त आमादा हो रहे है तथा प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करना चाहते है। जिसमे यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा जबकि प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। अन्त मे अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब दिनांक 23.04.2019 को प्रस्तुत किया व कथन किया कि अंकित खसरा संख्या 1635 रकबा 03–10–00 के हाल खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.57है0, तथा खसरा नम्बर 1636 रकबा 01–16–00 के हाल खसरा नम्बर 1211 रकबा 0.29है0 बने है। जो राजस्व जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 748 मे नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज है। अंकित भूमि राजकीय भूमि के खाते से नगर सुधार न्यास अजमेर को सक्षम अधिकारीगण के आदेशो के उपरान्त हस्तानान्तरित की गई है। जिस पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार नही होना अंकित कर प्रकरण मे राजहित प्रभावित होना दर्शाया है। अन्त मे उक्त खसरा नम्बरान बाबत निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रकरण मे दिनांक 05.08.2020 को अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसकी प्रति प्रार्थी अभिभाषक को दी गई। अप्रार्थी संख्या 2 के अभिभाषक ने जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयत राजस्व ग्राम किरानीपुरा के साबिक खसरा नम्बर 1635 रकबा 03–15–00 व 1636 रकबा 01–16–00 उक्त खसरा नम्बर साबिक जमाबन्दी (वर्किंग) मे सिवायचक भूमि के रूप मे दर्ज थी। उक्त भूमि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक/कअ/राजस्व/एफ.12(सी)/04/3711/19 दिनांक 25.02.2004 के द्वारा तत्कालिन नगर सुधार न्यास अजमेर को हस्तानान्तरित की जा चुकी है। इस प्रकार भूमि हस्तान्तरण होन के उपरान्त से ही उक्त भूमि पर आदिनांक तक स्वामित्व अजमेर विकास प्राधिकरण ... है। उक्त खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 1130 रकबा 0.57है0 व 1211 रकबा 0.29है0 बने है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज है। प्राधिकरण के आवंटन आदेश दिनांक अविप्रा/प.8/भूमि आवंटन/2016/703 दिनांक 23.06.2016 द्वारा साबिक खसरा नम्बर

Signature Not Ver...
Digitally signed by Upe...
Sharma
Date: 2020.09.25 12:0...
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

6 मे से 2000 वर्ग मीटर भूमि जन सुविधार्थ अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को विद्युत केन्द्र स्थापना हेतु 99 वर्ष की लीज पर आवंटन की गई है व निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एंव अपूरणीय क्षति एंव स्वामित्व का बिन्दु अजमेर विकास प्राधिकारण अजमेर के पक्ष मे सिद्ध है। अन्त मे प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस 31.08.2020 को सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.01.2019 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 152/2008 बउनवानी मदनलाल बनाम सरकार वगै0 विचाराधीन है जो कि वास्ते घोषणा एंव खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विचाराधीन है। विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1635 रकबा 03–10–00 एंव खसरा नम्बर 1636 रकबा 01–16–00 ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर मे स्थित है जो कि प्रार्थी की पुश्तैनी बापोती व खातेदारी की आराजीयात है। जिस पर प्रार्थी का हक अधिकार बनता है जमाबन्दी खतौनी संख्या 1349 फसली के अनुसार प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि खुदकाश्त दर्ज है तथा खेवट नम्बर 179, 180,182, एंव 135 के अनुसार वादीगण के पिता एंव पूर्वज के नाम इन्द्राज दर्ज है। खेवट फसली 1361,1362,1364,1365 के कालम संख्या 3 मे प्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम है। जिससे उपरोक्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि सिद्ध है। चौसाला जमाबन्दी संख्या 2013–16 के खेवट नम्बर 185 खतौनी संख्या 415 के अनुसार खातेदार श्री प्रेमसिंह वगै0 खाता संख्या 179 दो हिस्सा, श्रीकिशन वगै0 मुन्दर्जे खाता संख्या 180 1 हिस्सा, मूला वगै0 मुन्दर्जे खाता संख्या 182 दो हिस्सा कौम माली सा0देह दर्ज है तथा खेवट फसली 1349 के अनुसार खाता खैवट नम्बर 189 के खातेदार श्री भोलू व मोहनलाल पुत्रगण भीया जाति माली दर्ज है। इसी प्रकार खैवट नम्बर 180 के अनुसार श्रीकिशन व लिखमा, व सुवा पुत्रगण चन्दर जाति माली दर्ज है तथा खाता खैवट नम्बर 182 के अनुसार श्री मूला बालिग रतना व मोती नाबालिगं पि0 काना व बसरबराई मु0 गंगा वाल्दा खुद जाति माली दर्ज है इस प्रकार खाता खैवट संख्या 185 के अनुसार भोलू वगै0 मुन्दर्जे खाता संख्या 179 दो हिस्सा, श्री किशन वगै0 मुन्दर्जे, खाता संख्या 180 एक हिस्सा एंव मूला वगै0 मुन्दर्जे खाता संख्या 181 दो हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि प्रार्थी को विरासत से प्राप्त हुई है। जिस पर प्रार्थी का अधिकार है विवादग्रस्त आराजीयात के लिये वाद वर्ष 2008 मे प्रस्तुत कर दिया गया था। वाद प्रस्तुति से पूर्व प्रार्थी नोटिस भी दिये गये थे। जिस पर कोई कार्यवाही नही होने पर वाद प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरान्त नगर सुधार न्यास जो कि हाल मे अजमेर विकास प्राधिकरण सृजित हो गया है के विरूद्ध जारी निर्णय दिनांक 28.04.2010 जो कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) अजमेर द्वारा जारी किया गया था के उपरान्त अप्रार्थी राजस्व वाद मे उपस्थित हो चुके थे तथा वाद पत्र मे उनके द्वारा जदाब दावा भी प्रस्तुत किया जा चुका था। इसके बाद भी जरिये आवंटन आदेश दिनांक 23.06.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1635 रकबा 2000 वर्गमीटर अधिशाषी अभियन्ता (निर्माण) अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 अजमेर को कर दिया। प्रार्थी की भूमि पर उपरोक्त आवंटन आदेश की पालना मे निर्माण कार्य करने पर सख्त आमादा हो रहे है तथा प्रार्थी को उक्त आराजी से बेदखल करना चाहते है। जिसमे यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थी का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा जबकि प्रथम

Signature Not Ver
Digitally signed by Upe
Sharma
Date: 2020.09.25 12:0
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। अन्त मे अप्रार्थीगण को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

जवाब मे अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा जवाब मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अंकित खसरा संख्या 1635 रकबा 03–10–00 के हाल खसरा नम्बर 1180 रकबा 0.57हे0, तथा खसरा नम्बर 1636 रकबा 01–16–00 के हाल खसरा नम्बर 1211 रकबा 0.29हे0 बने है। जो राजस्व जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या 748 मे नगर सुधार न्यास अजमेर के नाम दर्ज है। अंकित भूमि राजकीय भूमि के खाते से नगर सुधार न्यास अजमेर को सक्षम अधिकारीगण के आदेशो के उपरान्त हस्तानान्तरित की गई है। जिस पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार नही होना अंकित कर प्रकरण मे राजहित प्रभावित होना दर्शाया है एंव निवेदन किया कि सिविल न्यायालय (क0ख) अजमेर मे जिस वाद मे प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त हुआ है उसमे सरकार को पक्षकार नही बनाया गया है। अन्त मे उक्त खसरा नम्बरान बाबत निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के अभिभाषक को सुना तथा रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत महत्पूर्ण बिन्दुओ के अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:–

1–प्रथम दृष्टया प्रकरण:–

प्रार्थी द्वारा ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर की उक्त भूमि पर अनुतोष प्राप्त करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली मे प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि वर्तमान रिकार्ड मे अजमेर विकास प्राधिकारण अजमेर के नाम अभिलेख मे दर्ज है। जिसे विधिवत अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तानान्तरित की गई है। विद्वान जिला कलक्टर महोदय अजमेर द्वारा पारित हस्तानान्तरण आदेश को निरस्त कराया जाना रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रकट नही होता है एवं विवादित भूमि पर वर्तमान मे स्वामित्व अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर का होना प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सिद्ध है। जहां तक प्रार्थी अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2020 के साथ माननीय उच्च न्यायालय जयपुर की एस0बी0सिविल रिट पीटीशन संख्या 294/2018 बउनवानी अमर सिंह बनाम राजस्थान सरकार व अन्य की प्रस्तुत की गई है। जिसमे शीघ्र सुनवाई किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रार्थी अभिभाषक प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित खसरा नम्बरान अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को अन्तरित भूमि है जिस पर स्वामित्व वर्तमान मे अजमेर विकास प्राधिकरण का है जिसे लीज पर प्राधिकरण द्वारा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्रदान किया गया है। जिन्हे प्रकरण मे पक्षकार मुर्तिब नही किया गया है। जबकि हक–अधिकारो का निस्तारण मूल वाद मे तय किया जाना है ऐसी स्थिति में हमारे मत में रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक मे सिद्ध होना नही पाया जाता है अतः प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किया जाना न्याय संगत नही है।

Signature Not Ver
Digitally signed by Upe
Sharma
Date: 2020.09.25 12:0
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

सुविधा का सन्तुलनः—

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वर्तमान मे अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर का नाम जमाबन्दी में दर्ज है जिससे विवादित भूमि स्वत्व प्राधिकरण मे निहित है एवं मौके पर भी प्राधिकरण काबिज है क्योंकि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि पर वर्तमान मे प्रार्थी काबिज होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है ऐसी स्थिति मे सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय सिद्धान्त एवं कब्जा प्रार्थी के हक में प्रार्थी सिद्ध करने मे प्रार्थी असफल रहा है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं कब्जा प्राधिकरण के पक्ष मे स्वयं सिद्ध है।

3—अपूरणीय क्षतिः—

चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन तथा कब्जा प्राधिकरण के हक मे सिद्ध होने से प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा के अभाव मे वादग्रस्त आराजीयात पर किसी प्रकार की क्षति होना प्रतीत नही होता है। वहीं दूसरी ओर अस्थायी निषेधाज्ञा के महत्पूर्ण कानूनी बिन्दु प्राधिकरण के हक मे सिद्ध होने से यदि अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है तो प्राधिकरण एंव विद्युत वितरण निगम को अपूरणीय क्षति कारित होना निश्चित है इस प्रकार उक्त बिन्दु भी प्रार्थी अपने हक मे सिद्ध करने मे असफल रहा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तीनों महत्पूर्ण बिन्दु प्रार्थी के पक्ष मे निहित नही होने से यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)
सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

Signature Not Ver

Digitally signed by Upe
Sharma
Date: 2020.09.25 12:0
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner